भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 939

(जिसका उत्तर मंगलवार, 5 मई, 2015 को दिया गया)

कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा मामलों को वापस लिया जाना

939. श्री अम्बेथ राजन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने विभिन्न कंपनियों के खिलाफ दायर 3500 से अधिक मामलों को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों के वापस लिए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) और (ख) : कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा वापस लिए गए अभियोजन मामलों की संख्या निम्नलिखित है। इन्हें पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न कंपनियों के खिलाफ दायर किया गया था -

	2012-13	2013-14	2014-15	चालू वर्ष
वापस लिए गए मामलों की संख्या	4912	3375	2182	38

(ग) : वापस लिए गए ये मामले संबंधित वर्षों की लिए बैलेंस शीट और वार्षिक विवरणी फाइल करने में हुई चूक से संबंधित है। मोटे तौर पर मामले वापस लेने के कारण इस प्रकार हैं :-

(i) कंपनियों ने बैलेंस शीट और वार्षिक विवरणी फाइल करके पहले ही चूक सुधार ली थी।

(ii) ये कंपनियां तीन वर्ष या अधिक समय से समाप्त/निष्क्रिय पाई गई थीं और ऐसे मामलों में अभियोजन जारी रखना व्यर्थ था। ऐसे मामले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत ऐसी कंपनियां बंद करने के लिए चलाए गए थे।

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 621क(4)(घ) के अनुसार कंपनियों ने जुर्माना भरकर अपराध का शमन कर दिया था।

*****